सरयू राय

मुख्यमंत्री सचिवालय
झारखण्ड
24/10/2018
निर्देशानुसार...... मुख्यमंत्री
निर्गम............

झारखण्ड सरकार

मंत्री
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

पत्रांक-370 का०/218/18
दिनांक-24-10-2018

आपको मालूम है कि मुकदमा संख्या L.P.A. No. 351 of 2018 में सुनवाई के दौरान झारखंड राज्य के महाधिवक्ता ने झारखंड सरकार के खान विभाग से अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य सक्षम प्राधिकार से स्वीकृति लिये बिना दिनांक 01.10.2018 को अपनी मनमर्जी से झारखंड उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ को सूचित कर दिया कि अपीलकर्ता दो लौह अयस्क खननकर्ताओं मे० शाह ब्रदर्स और मे० निर्मल कुमार प्रदीप कुमार (एनकेपीके) – से अवैध खनन करने के कारण उनपर लगाये गये अर्थदंड का भुगतान 20 किश्तों में करने की सहमति दोनों पक्षों (राज्य सरकार और इन खननकर्ताओं) के बीच हो गई है. उन्होनें खननकर्ता शाह ब्रदर्स द्वारा 250 करोड़ रू0 का बकाया भुगतान 20 किश्तों में करने का एकतरफा शिड्युल भी उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत कर दिया. इसका नतीजा हुआ कि न्यायालय ने दोनों पक्षों की परस्पर सहमति को स्वीकार कर लिया और तदनुसार आदेश दे दिया.

अब खान विभाग कह रहा है कि उसने शाह ब्रदर्स और एनकेपीके से अवैध खनन का बकाया अर्थदंड 20 किश्तों में वसूलने के बारे में कोई सहमति नहीं दिया है. खान विभाग ने झारखंड उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध अपील करने का निर्णय लिया है. विभाग का कहना है कि झारखंड उच्च न्यायालय में चल रहे इस मुकदमा में ऐसा सहमति पत्र देने के संबंध में महाधिवक्ता ने विभाग को न तो सूचित किया है और न ही इस बारे में विभाग से लिखित या मौखिक परामर्श लिया है. खान विभाग ने झारखंड उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध अपील दायर करने के संबंध में कानूनी परामर्श के लिये संचिका कानून विभाग के समक्ष भेज दिया है.

इससे स्पष्ट हो गया है कि महाधिवक्ता ने उपर्युक्त दोनों खननकर्ताओं और खान विभाग के बीच उनसे बकाया अर्थदंड 20 किश्तों में लेने के बारे में परस्पर सहमति होने की जो सूचना उच्च न्यायालय को दी है उसके लिये वे ही जिम्मेदार है, खान विभाग ने ऐसी सहमति नहीं दिया है. यानी महाधिवक्ता ने उपर्युक्त दोनों खननकर्ताओं को आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिये उच्च न्यायालय को गुमराह किया है और न्यायालय के समक्ष गलतबयानी किया है.

इसके पहले 2016 में भी मुकदमा संख्या WPCCJ No. 2027 of 2016 में अतिरिक्त महाधिवक्ता के नाते बहस करते हुये उन्होने झारखंड उच्च न्यायालय में खान विभाग के पक्ष को सही तरीका से नहीं रखा जिसके कारण इनका खनन पट्टा रद्द करने संबंधी सरकार के आदेश पर न्यायालय ने रोक लगा दिया. खान विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव ने इसपर सख्त विरोध जताया और तत्कालीन महाधिवक्ता के पास लिखित शिकायत भेजवाया कि अपर महाधिवक्ता ने इस बारे में विभाग को अंधकार में रखा और न्यायालय में मनगढ़ंत बातें

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची। आवास : 1, ए.जी. मोड़ डोरण्डा, राँची।
दूरभाष : 0651-2401023, फैक्स : 0651-2402455, मो. : 9431114466
ई.मेल : saryuroyoffice@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

रखकर सरकार को नुकसान पहुँचाया तथा न्यायालय को सही कानूनी स्थिति से अवगत नहीं कराया जिसका लाभ अवैध खनन के इन दोषियों को मिला.

प्रासंगिक मामले में तो महाधिवक्ता के साथ ही पश्चिमी सिंहभूम के जिला खान पदाधिकारी की भी संलिप्तता सामने आई है. मुकदमा संख्या L.P.A. No. 351 of 2018 में उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद पश्चिम सिंहभूम के जिला खान पदाधिकारी ने सरकार को लिखा है कि उच्च न्यायालय के इस फैसला के खिलाफ सरकार को अपील करनी चाहिये. परंतु अगले दो दिन में ही इन्होंने शाह ब्रदर्स को खनन चालान जारी कर दिया और वह भी उसकी खनन क्षमता से कई गुना ज्यादा का.

प्रासंगिक मुकदमा के फैसला की कंडिका–10 के अनुसार खननकर्ता को चालान तभी जारी होगा जब वह किसी संबंधित नियम के उल्लंघन का दोषी नहीं है. इस मामले में तो खनन पट्टाधारी शाह ब्रदर्स को वन नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है. हाल ही में करीब एक माह पूर्व झारखंड उच्च न्यायालय के निदेशानुसार इनके दावा की सुनवाई करते हुये प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड सरकार ने भी इनके दावा की सुनवाई करते हुये स्पष्ट किया है कि शाह ब्रदर्स वन नियमों के उल्लंघन का दोषी है. यह आदेश खान विभाग को भी हस्तगत कराया गया है. इसके बावजूद इस खनन पट्टाधारी को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिये खान विभाग के कतिपय अधिकारी और राज्य के महाधिवक्ता नियम–कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे है और राजस्व का नुकसान कर रहे हैं.

यहाँ यह उल्लेख प्रासंगिक होगा कि "कॉमन कॉज" मुकदमा में सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि अवैध खनन के दोषियों को अर्थदंड का एकमुश्त भुगतान करना होगा. यदि वे भुगतान में विलंब करते हैं तो उन्हें 24 प्रतिशत की दर से विलंब शुल्क देना होगा. परंतु महाधिवक्ता ने यह महत्वपूर्ण तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं रखा और 20 किश्तों में भुगतान के प्रस्ताव पर खान विभाग और शाह ब्रदर्स में परस्पर सहमति हो जाने का मनगढ़ंत प्रस्ताव रख दिया.

महोदय, वर्तमान सरकार के दौरान जब से सरकार ने नियमों का उल्लंघन कर रहे राज्य के अवैध 23 लौह अयस्क खदानों का खनन पट्टा रद्द किया है तबसे एक सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है कि कैसे इन्हें राहत दी जाय. कभी न्यायाधिकरण से, कभी न्यायालय से, कभी मंत्रिपरिषद से तथ्यों को छुपाकर यह प्रयास होते रहा है. टाटा स्टील, रुंगटा माइंस सहित अन्य कई पट्टाधारियों ने तो भारत सरकार का नियम और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मानकर अवैध खनन के अर्थदंड का एकमुश्त भुगतान कर दिया. पर कई लोग भारत सरकार के स्पष्ट नियम और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को धत्ता बताने में लगे हुये हैं. अफसोस है कि महाधिवक्ता सदृश गरिमायुक्त पद धारण करने वाले राज्य के विधि पदाधिकारी और खान विभाग और राज्य सरकार में उच्च पद धारण करने वाले कतिपय पदाधिकारियों के प्रत्यक्ष–परोक्ष समर्थन से इन्हें तत्कालिक लाभ भी मिल जा रहा है.

आश्चर्य है कि जिस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्णय दिया है, किश्तों में भुगतान करने के सभी अपीलों को खारिज कर दिया है, जिन्होंने आदेश की अवहेलना कर

Scanned with OKEN Scanner

31 दिसम्बर 2017 तक भुगतान नहीं किया उन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने 24 प्रतिशत ब्याज के साथ विलम्बित भुगतान करने का आदेश दिया है उसी मामले में राज्य सरकार के विधि अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा सरकार का पक्ष सही रूप से नहीं रखे जाने के कारण तिकड़मी पट्टाधारी झारखंड उच्च न्यायालय से राहत प्राप्त कर रहे हैं. इससे राज्य सरकार की छवि खराब हो रही है, भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ रहा है, नियम–कानून को ताक पर रखकर मनमानी करने की प्रवृति को प्रोत्साहन मिल रहा है, राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. इस पर रोक लगाने के लिये नियमानुकूल कदम उठाना समय की माँग है.

इस संदर्भ मे मेरा सुझाव है कि :–

1. राज्य के महाधिवक्ता को अविलम्ब पदमुक्त किया जाय.
2. इस मुकदमा में झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जाय.
3. पूर्व में ऐसे ही मामले में सरकार का पक्ष सही ढंग से नहीं रखे जाने के कारण सेल, हिन्डाल्को, उषा मार्टिन को न्यायालय से मिली राहत के विरुद्ध अपील की जाय.
4. पश्चिम सिंहभूम के जिला खान पदाधिकारी को निलंबित कर उनके विरूद्ध आवश्यक कारवाई की जाय.

स्मरण रहे कि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार राज्य की जनता का है. इसकी कीमत पर किसी अन्य को लाभ पहुँचाने की साजिश करना अथवा इसमे सहभागी होना राज्यहित और जनहित के विरूद्ध है. ऐसा करने वाले राज्य को भारी नुकसान पहुँचाते रहे हैं. राज्य के खान विभाग को इन्होंने दूषित किया हुआ है. इस राह पर चलने वाले पकड़े जाने पर पहले भी दंडित हुये हैं. इस मामले में भी इनके प्रति नरमी नहीं बरती जानी चाहिये. एक अवसर है कि दोषियों को दंडित कर यह साजिश हमेशा के लिये समाप्त करने की कोशिश की जाय. वर्ना कानून और राज्य की जनता माफ नहीं करेगी.

सादर,

भवदीय

सरयू राय

सेवा में,
श्री रघुवर दास
माननीय मुख्यमंत्री,
झारखंड सरकार.

Scanned with OKEN Scanner